न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, बलिया।
सिविल अपील संख्या– 12/2022

सुरसती – बनाम – रमापति व अन्य

दिनांक– 01.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की तरफ प्रार्थना पत्र 24ग प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि उसने बंदोबस्ती नक्शा अधीनस्थ न्यायालय में जमा किया हुआ है लेकिन बिना पैमाईश किये हुए पत्रावली मूलवाद अपील न्यायालय में पेश कर दी गयी है। इससे उसे सख्त हकतल्फी है अतः किसी दूसरे अमीन या सर्वे कमिश्नर से कार्यवाही या पैमाईश का आदेश दिया जाए। इसके विरूद्ध प्रत्यर्थी की तरफ से आपत्ति प्रार्थना पत्र 25ग प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के निर्देश के बावजूद समय से कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि बार–बार उससे कहा जाता रहा। वह कार्यवाही लिंगर कर रहा है अतः इस पर स्पेशल कास्ट इम्पोज करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस अपील में दिनांक 05.08.2023 को पूर्वाधिकारी द्वारा अतिरिक्त वाद बिन्दु सं० 7 विरचित करते हुए विद्वान सिविल न्यायालय को यह निर्देश दिया गया कि उक्त अतिरिक्त वाद बिन्दु पर सर्वे आख्या मंगाकर और उभयपक्ष का साक्ष्य लेकर उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण करे और उक्त वाद बिन्दु का निर्णय व निष्कर्ष इस न्यायालय को प्रेषित करे। इस कार्यवाही हेतु तीन माह का समय नियत किया गया था। इस सम्बन्ध में कोई भी आख्या विद्वान न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) पूर्वी, बलिया द्वारा नहीं भेजा गया है। मूलवाद के पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभी तक अपील न्यायालय के निर्देशों के अधीन उक्त वाद बिन्दु के सम्बन्ध में सर्वे व अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाकर उक्त वाद बिन्दु के निस्तारण की कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः अंतर्गत आदेश 41 नियम 25 इस उद्देश्य हेतु 6 माह का अतिरिक्त समय विस्तारित किये जाने योग्य है। तदनुसार अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 24ग व आपत्ति 25ग निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 24ग व आपत्ति 25ग तदनुसार निस्तारित किया जाता है। अंतर्गत आदेश 41 नियम 25 6 माह का अतिरिक्त समय विद्वान न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) पूर्वी, बलिया को विस्तारित किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपील में दिये गये आदेश दिनांकित 05.08.2023 के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए तदोपरान्त अपनी आख्या व निष्कर्ष इस अपील पत्रावली पर प्रेषित करे। उभयपक्ष दिनांक 25.09.2025 को विद्वान न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) पूर्वी, बलिया के समक्ष उपस्थित हों। आदेश की एक प्रति मूल पत्रावली के साथ विद्वान न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) पूर्वी, बलिया को प्रेषित हो।

दिनांक– 01.09.2025

अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०–4, बलिया।

Digitally signed by GYAN PRAKASH TIWARI
Date: 2025.09.01 12:09:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court